	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	वैशाख 9, गुरूवार, *शाके* 1943–अप्रेल 29, 2021 *Vaisakha 9, Thursday, Saka 1943- April 29, 2021*	

भाग 5 (घ)

भारत के निर्वाचन आयोग की विज्ञप्तियां आदि।

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 29, 2021

संख्याः एफ.8(2)(20)/निर्वा/2018/2586 :–विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 24–सुजानगढ़ (अ.जा.), 175–राजसमन्द एवं 179–सहाड़ा के उप चुनाव के लिए मतगणना के प्रयोजन हेतु सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों की नियुक्ति सम्बन्धी भारत निर्वाचन आयोग की निम्न अधिसूचना सर्व साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाती है।

प्रवीण गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक 28 अप्रैल 2021

8 वैशाख, 1943 (शक)

अधिसूचना

सं. 434/राजस्थान-वि.स./2018(2) - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप धारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा अपनी दिनांक 13 सितंबर, 2018 की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. 434/राजस्थान-वि.स./2018(2), में निम्नलिखित संशोधन करता है।

2. राजस्थान राज्य में विधान सभा के रिटर्निंग अधिकारी की सहायता के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी(यों) की नियुक्ति से संबंधित उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न तालिका के स्तम्भ(2) में, स्तम्भ(1) में प्रत्येक मद के सामने मौजूदा प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित अनुरूपी प्रविष्टियाँ क्रमशः जोड़ी जाएंगीः-

तालिका

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (मतगणना)
1	2
24-सुजानगढ़ (अ.जा.)	1. उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रतनगढ़

	2. उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजगढ़
175-राजसमन्द	1. तहसीलदार, नाथद्वारा 2. तहसीलदार, आमेट
179-सहाड़ा	1. उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रायपुर 2. उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, हमीरगढ़

उपर्युक्त उल्लिखित अधिकारियों को केवल मतगणना हेतु सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है और वे 24- सुजानगढ़ (अ.जा.), 175-राजसमन्द तथा 179- सहाड़ा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के उप-निर्वाचन पूरे होने के साथ ही, सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में कार्य करना बंद कर देंगे।

आदेश से,

राहुल शर्मा,
सचिव
भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001

Dated : 28th April, 2021

8 Vaisakha, 1943 (Saka)

NOTIFICATION

No. 434/RJ-LA/2018(2)- in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby makes the following amendments in its Notification No. 434/RJ-LA/2018(2) dated 13th September, 2018, as amended from time to time.

In Column (2) of the table appended to the said notification relating to the appointment of Assistant Returning Officer(s) to assist the Returning Officer of the Assembly Constituency in the State of Rajasthan, after the existing entries against each of the item in column (1), the following corresponding entries shall respectively be added:-

TABLE

No. & Name Assembly Constituency	**Additional Assistant Returning Officers For Counting**
1	2
24-Sujangarh (SC)	1. Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Ratangarh 2. Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Rajgarh

175-Rajsamand	1. Tehsildar, Nathdwara 2. Tehsildar, Amet
179-Sahara	1. Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Raipur 2. Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Hamirgarh

The Officers mentioned above have been appointed as Assistant Returning Officer for counting purpose only and they shall cease to function as Assistant Returning Officer, with the completion of the Bye-Election from 24-Sujangarh (SC), 175-Rajsamand and 179-Sahara Assembly Constituencies.

By Order,

RAHUL SHARMA,
SECRETARY
ELECTION COMMISSION OF INDIA

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।